न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 078 / 2025

1. गुरबचन सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमेल सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बीकर सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 4/11/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251—क रा.का.अधि. अप्रार्थी के विरूद्व अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. 59 के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 15 कुल 3.795 हैक. ब.हिब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076—79 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 42/246 के किला नं. 1, 10, 11 मे 0.025—0.025 हैक. गै.मु. स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है तथा प.नं. 42/246 के किला नं. 1 ता 5 मे बैजानिव उत्तरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता वर्तमान मे चालू है। प्रार्थीगण अपने नाम से वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 2—2 बिस्वा रास्ता बैजानिव उत्तरी दिशा राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत करवाना चाहते है। उक्त रास्ता काफी वर्षो से चालू है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि संयुक्त खात की कृषि भूमि दर्ज है। पारिवारिक विभाजन को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 0.025—0.025 हैक. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो कि राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 10 बीएलडब्लयू के [illegible] /246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 0.025—0.025 हैक. बैजानिव [illegible] लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:22:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरि[illegible] दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थी से तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार चाही गई।

प्रकरण मे तहसीलदार रिपोर्ट सं. 689 दिनांक 03.10.2025 शामिल पत्रावली की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता मे आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि से संबंधित पूर्व मे रास्ता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्वीकृत है। प्रार्थी की भूमि के लगता सबसे कम दूरी का रास्ता किला नं. 1, 10, 11 है ग़ैर मु. रास्ता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा गै.मु. रास्ता किला नं. 1, 10, 11 प्रार्थी की भूमि से लगता है, सबसे कम दूरी का है तथा गै.मु. स्वीकृत रास्ता है व खुला है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र, प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की भूमि मे ही रास्ता स्वीकृत करवाने के तथ्यों एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों, दस्तावेजों व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा के बाद तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 10 बीएलडब्लयू के प.नं. 42/246 के किला नं. 1/1, 2 ता 5 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. बैजानिव उत्तर दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना मे तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे दिनांक 4/11/2025 सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:22:29 IST
Reason: SelfAttested